बिहार शिक्षा परियोजना
कचहरी चौक, अम्बेदकर भवन,
पोस्ट– मोतिहारी कोर्ट, मोतिहारी,
जिला– पूर्वी चम्पारण, पिन – 845401

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

BIHAR EDUCATION PROJECT
Court Chowk, Ambedkar Bhawan,
P.O.- Motihari Court, Motihari,
East Champaran, Pin- 845401

Phone No.- 06252-239249, Fax No.- 06252-239589, Email - bepeastchamparan@gmail.com

पत्रांकः–बि.शि.प 887/ दिनांक 28.7.14

प्रपत्र–2

कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी–प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,

आर्य विद्यापीठ, लक्ष्मीपुर प्रखंड सरैया,
तुरकौलिया, पूर्वी चम्पारण

विषयः– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत **विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।**

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 3142/11.11.11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय (नाम एवं पता)
आर्य विद्यापीठ, लक्ष्मीपुर प्रखंड सरैया,
प्रखंड – तुरकौलिया, पूर्वी चम्पारण
पहली **(I)** कक्षा से ~~पाँचवी **(V)**~~ / आठवीं **(VIII)** तक संचालन हेतु तीन वर्षों–1 अप्रील 2014 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए **औपबंधिक प्रस्वीकृति** प्रदान की जाती है।
प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1), बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–2) तथा बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली–2013 (अनुलग्नक–3) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

~~12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल~~ विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी–प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या ECB-TU/13/1475 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी–प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा समय–समय पर मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकति की शर्त्तो के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अन्य शर्ते :–

(i) वैसे विद्यालय संस्थान जिन्होनें अभी तक विद्यालय का निबंधन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत नहीं कराये है, वे अविलम्ब एक वर्ष के अन्दर विद्यालय का निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) उपरोक्त कंडिका–2 के अधिनियमों के अधीन आवश्यक सभी भौतिक व शैक्षणिक सुविधाएँ अविलम्ब अगले छः माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विद्यालय की प्रस्वीकृति को किसी भी समय रदद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के अधीन सुरक्षित रहेगा।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी चम्पारण।

28/7/14